न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 83/2021

उनवान

श्री रमेशचन्द्र पिता पुनमचंद कलाल जाति कलाल निवासी कुमजी का पारडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रार्थी

बनाम

(1) दलीचन्द पिता श्री किशनजी कलाल जाति कलाल निवासी कुमजी का पारडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(2) तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 23.3.2021

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी का निजी मकान, भुमि तथा लकडी उद्योग का आरामशीन गांव कुमजी का पारडा आराजी नम्बर 3392, 3301 की भूमि ग्रांव कुमजी का पारडा तहसील गढी जिला बांसवाडा मे निम्न हद हदुदा मे स्थित हैः–

पूर्व –डूंगरपुर–बांसवाडा मुख्य रोड

पश्चिम– खुली भुमि

उत्तर –अप्रार्थी नम्बर 01 का अतिक्रमण

दक्षिण –आम रास्ता

प्रार्थी को श्रीमान् जिला कलेक्टर बांसवाडा द्वारा जुन 1993 मे उद्योग हेतु भुमि आवंटन की गई तथा उस पर प्रार्थी ने अपना उद्योग स्थापित किया एवं उद्योग विभाग द्वारा प्रार्थी को उक्त भुमि पर प्रार्थी के पक्ष मे लीज डीड जारी की। जिसमें उद्योग विभाग द्वारा राजकीय नियमानुसार उद्योग के चारो ओर 15 फीट चौडा रास्ता निर्धारित कर भुमि पर प्रार्थी ने अपना उद्योग स्थापित किया है। अप्रार्थी नम्बर 01 ने नियम विरूद्व तरीके से उत्तर तरफ स्थित सडक की भुमि आराजी नम्बर 3291 मे फर्जी तरीके से पट्टे बनवाकर सम्पूर्ण 03 बीघा जमीन पर अवैद्य अतिक्रमण कर प्रार्थी का रास्ता बन्द कर दिये। प्रार्थी ने उत्तर की तरफ उद्योग का रास्ता होने से इंकार कर दिया, जबकि उत्तर की तरफ प्रार्थी का उद्योग आराजी नम्बर 3292 के पिछे आराजी नम्बर 3293 कृषि भुमि भी प्रार्थी की है। जहा भी रास्ता आवश्यक है लेकिन अप्रार्थी नम्बर 01 ने आराजी नम्बर 3291 मे अतिक्रमण कर भराव कर आगे कोट बना दिया है। जिससे प्रार्थी के खेत तथा उद्योग मे आने जाने के लिए उत्तर तरफ का रास्ता आवश्यक है। अप्रार्थी द्वारा नियम विरूद्व किये गये अतिक्रमण को हटवा कर मुख्य रोड गढी–पालोदा से प्रार्थी के उद्योग के अन्तिम सिरे तक रास्ता बनवाया जाना आवश्यक है। इस हेतु धारा 251 ए. रा.का.अधिनियम के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 एंव प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा आपसी सहमति से प्रार्थी के मकान के उत्तर दिशा की दिवार से 15 फीट चौड़ा रास्ता बनाये जाने के कम में निम्नानुसार कथन कियाः–

1. गढ़ी–पालोदा मुख्य सड़क से होकर पश्चिम दिशा की सर्वे नम्बर 1552/2170 से हाकर सर्वे नम्बर 3291 से आगे सर्वे नम्बर 3293 एंव 3294 के मध्य से होकर सर्वे नम्बर 3298 तक सीधा रास्ता बनाया जाना अवगत कराया।
2. नवीन रास्त बनाये जाने में प्रार्थी को [illegible] का कोना हटाकर सीधा करना होगा जिससे नवीन रास्ता मुख्य सड़क से अन्त तक 15 फीट चौड़ा [illegible] रास्ता उपलब्ध होगा।

अतः उक्त प्रकरण में प्रार्थी [illegible] ओर से प्रस्तुत सहमती पत्र अनुसार गढ़ी–पालोदा मुख्य सड़क [illegible] 70 से होकर सर्वे नम्बर 3291 से आगे सर्वे नम्बर 3[illegible] सर्वे नम्बर 3298 तक [illegible] के भवन का कोना हटाकर सीधा कर[illegible] 15 फीट चौड़ाई का सीधा रास्ता बनाया जाने में प्रार्थी के भवन का कोना हटाकर [illegible] 15 फीट [illegible]डा होकर सीधा रास्ता बना[illegible] होगा जिससे नवीन रास्ता मुख्य सड़क से अन्त तक 15 फीट [illegible] जाने हेतु प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 को पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.3.2021 को सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)IAS

उपखण्ड अधिकारी

गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash

Date: 2021.04.16 14:24:06 IST

Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner